अशोक का धम्म और मानवाधिकार

आशा सुनारीवाल
व्याख्याता इतिहास
राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)राज.

शोध सारांश

मानवाधिकारों का उदय प्रारंभिक आधुनिककाल में सामंती प्रथा और पोप की धार्मिक सत्ता का अंत करके हुआ था। इसका जन्म पुनर्जागरण के गर्भ से हुआ है। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों की सफलता से यह विचार आगे बढ़ा। यूरोप में धर्म केन्द्रित चिन्तन की जगह मानव केन्द्रित चिन्तन ने स्थान लिया और मानववाद का जन्म हुआ। पेट्रार्क जैसे चिन्तकों ने धर्म की जगह मानव को केन्द्र बनाया तथा मानवीय सरोकारों और चिन्ताओं को योरोपीय चिन्तन में स्थान दिया। पर वैधानिक मानवाधिकारों पर चिंता और वैधानिक फैसलों का काम 1848 की क्रांतियों और नेपोलियन तथा मेटारनिख के यूरोपीय राजनीति के रूखसती से हुआ। व्यापक प्रचार–प्रसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तथा 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र (पेरिस) से हुआ।

पहले मानवाधिकार क्या हैं पर प्रकाश डालें। मानवाधिकार मनुष्य का प्राकृतिक और जैविक अधिकार का सुनिश्चितिकरण है। मनुष्य को प्रकृति से जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान अवसरों का अधिकार, यातना से बचने का अधिकार, शिक्षा और जीवन सुरक्षा का अधिकार मिला है।

मुख्य शब्द – मानवाधिकार, यूरोपीय राजनीति, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वैधानिकता, भारतीय शासकों, मनीषियों, मानवीय मूल्य।

प्रस्तावना

जब विश्व बिरादरी ने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को वैधानिकता प्रदान की तो वह मानवाधिकार में बदल गया। मनुष्य के जन्मजात प्राकृतिक गुण जो किसी भी देश के कानून और परम्परा से प्रभावित नहीं होते मानवाधिकार में आते हैं। गरिमापूर्ण जीवन और सुकून भरा जीवन मानव की अनिवार्य आवश्यकता है। मानवाधिकार कहता है कि मनुष्य जन्म से समान है, सृष्टा द्वारा इनमें अपृथक किये जाने वाले नैसर्गिक अधिकार निवेशित है। अब प्रश्न उठता है कि मानवाधिकार से संबंधित विचार के क्रम में भारतीय इतिहास क्या कहता है ? मानवाधिकार वैसे आधुनिक परिघटना है पर, भारतीय शासकों, मनीषियों तथा चिन्तकों के कार्य हमेशा मानवतावादी रहे हैं। ये जरूर है कि भारतीय सामाजिक संगठन में विषमता व्याप्त रही है। नारियों व दलितों के प्रति काफी लम्बे समय तक शोषण और अत्याचार की परंपरा देखने को मिलती है। पर भारतीय मनीषा का मूलमंत्र है–आत्मन प्रति कूलानि परेषां ना समाचरेत। फिर भारतीय चिंतन की ऋषि परंपरा विषमता को आगे नहीं बढ़ाती, उसके लिए पूरा मनुजकुल ही एक परिवार है। व्यास ने अपने लेखन में कहा, परोपकार और सद्व्यवहार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों के शोषण से बढ़कर कोई पाप नहीं है। मानवाधिकारों के संरक्षा पर आधारित कर्म और वचन भारतीय साहित्य में भरा पड़ा है। अब हम अशोक के धम्म की बातों को उद्धृत कर यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि अशोक महान प्राचीन विश्व में मानवाधिकारों का महान प्रतिनिधि था। उसके अभिलेखों में मानवाधिकारों की चर्चा है। उसका चौदहवाँ अभिलेख कहता है। मेरी समस्त प्रजा मेरी संतान है। मेरे सामने सभी समान है। जैसे पिता अपनी संतान के हित साधन में अपना योगदान देता है वैसे ही सबके चतुर्दिक कल्याण की इच्छा रखता हूँ।

अशोक ने विषमता पर आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध कर प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित बौद्ध संघ की सामाजिकता को अपनाया। पन्द्रहवें अभिलेख में वह कहता है–मेरे राज्य सीमांत के आगे के निवासी मेरी तरफ से खुशीपूर्ण, एवं सुकून भरे जीवन की आशा कर सकते हैं न कि यातना, शोषण और अत्याचार पूर्ण व्यवहार का।

अशोक अपने तेरहवें अभिलेख में युद्ध त्यागने की बात करता है, ठीक वैसे ही–जैसे 1948 का मानवाधिकार घोषणा पत्र विश्व में और युद्ध न होने की बात करता है। युद्ध के बजाय सद्व्यवहार और धम्म से लोगों के दिलों को जीतने की बात करता है। इस तरह भारतीय इतिहास और अशोक का धम्म मानवाधिकारों से जुड़ा है।

पेपर और बोकासिओं ने मानवीय मूल्यों तथा मानवीय संस्थाओं एवं रचनाओं को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया। इनसे पहले योरोपीय लेखन और चिंतन धर्म केन्द्रित था अर्थात दैवीय चिंतन की जगह मनुष्य के संसार का चिंतन और सरोकार।

ठीक इसी तरह अशोक से पहले का चिंतन धार्मिक था। लोग ब्रह्म, माया, जगत के आधिभौतिक तत्वों का चिंतन करते थे पर अशोक और उनके पूर्ववर्ती तथागत बुद्ध ने चार आर्य सत्यों को मानव केन्द्रित रखा। अशोक ने परलोक की जगह लौकिक मनुष्य की बेहतरी का काम किया। ब्रह्मगिरी के अभिलेख में वह कहता है, व्यक्ति को अपने माता–पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्हें अपने श्रेष्ठ जनों का ध्यान रखना चाहिए। संसार के समस्त भूतों के प्रति प्रेम और ध्यान रखना चाहिए। शिष्यों को अपने गुरु की इज्जत और सेवा करनी चाहिए।

एर्रागुडी अभिलेख के अनुसार देवताओं के प्रिय अशोक चाहते हैं–महावतों, घुड़सवारों और विप्र शिक्षकों को समाज सम्मत परंपरा के अनुसार आचरण करना चाहिए बैराठ (भब्रू) लेख में अशोक संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों की कुशल क्षेम की चर्चा करता है। आधुनिक काल में मानववाद हिंसा का प्रबल विरोधी है। चाहे हिंसा किसी भी रूप में हो। अशोक हिंसा का निषेध कर अहिंसा पर बल देते हुए चौथे अरमेइक भाषा के अभिलेख में जानवरों की हिंसा पर रोक लगाता है। मछुआरों से मछली नहीं मारने को कहता है। अपराध के बदले कड़े दंड को सुधारात्मक में तब्दील करने की बात करता है।

अशोक अपने चौथे गिरनार स्तंभ में लिखता है कि लोग एक दूसरे की बेहतरी की चिंता करें और जीवन रक्षा करें एवं मानव–मानव का सम्मान करें। प्रियदर्शी ने घायल बीमार जानवरों एवं मानवीय चिकित्सा के लिए अस्पताल भी खुलवाये। अशोक शाहबाज गढ़ी के अभिलेख में लिखता है कि सारे धर्मों के लोग सभी जातियों के लोग आपस में सम्मानपूर्वक, सुखपूर्वक, प्रेमपूर्वक और परस्पर भाई चारे से एक दूसरे की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक निवास करें।

आजकल पुलिस हिरासत में मौतें होती हैं। कारागर में भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें होती हैं। जायज मांग पर पुलिस अत्याचार करती हैं। इस संदर्भ में प्रियदर्शी अशोक को शासकीय अधिकारियों की मनमानी और निष्ठुरता की पूरी जानकारी थी। धौली के अपने 16वें अभिलेख में वह कहता है कि न्यायिक हिरासत या कैदखाने में मौते नहीं होनी चाहिए। मानव गरिमा की अनुपालना में राज्य के अमात्यों और पुलिस अधिकारियों को क्रोधरहित निष्पक्षता पूर्वक, अमर्शहीन, सहज कर्त्तव्य बोध से प्ररित होकर अपराधियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी बदले की भावना से यह काम नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति ने कोर्ट संज्ञेय अपराध नहीं किया है तो उसे जांच पड़ताल के बाद आम माफी दे देनी चाहिए। आजकल पुलिस ओर सेना के

खिलाफ विश्व भर में मानवाधिकारों के उल्लघंन की बातें सामने आती है। सिंहली ग्रंथ दीपवंष से जानकारी मिलती है कि उज्जैन के विद्रोह को दबाने जब मौर्य युवराज पहुँचा तो लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि हे युवराज न हम सम्राट के खिलाफ है, न हम युवराज के खिलाफ है पर दुष्ट अमात्य और अधिकारी हमारा अपमान करते है। अशोक ने तुरंत उस शिकायत का निवारण किया।

अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि साम्राज्य में किसी भी नागरिक के साथ क्रूरता और निष्ठुरतापूर्वक व्यवहार न हों।

अशोक अपने पिता चन्द्रगुप्त मार्य की भाँति कल्याणकारी एवं प्रजावत्सल शासक था उसने कलिंग युद्ध के पश्चात जन कल्याण के लिए जो भी कार्य किये उन सबने अशोक को नृपतियों की फेहरिस्त का धुव्रतारा बना दिया। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशनश के लेखक विल ड्रैण्ट कहते है–वोल्गा (जर्मनी) से नाकामुरा (जापान) तक नाकामुरा से कैण्डी (श्रीलंका) तक अगर तथागत बुद्ध का चेहरा शांति और अहिंसा का संदेश बैठे हुए या लेटे हुए दे रहा है तो यह श्रेय उस प्रजावत्सल और धर्मवत्सल राजा का जाता है जो कभी भारत की गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम अशोक था।

समाज के कल्याण के लिए उसने नीतिपरक, धम्मसम्मत और नैतिकता से ओत प्रोत विचारों को शिलाओं पर उत्कीर्ण कराकर अभिलेखों के रूप में भारत के कोने–कोने में स्थापित करवायें। अपने यौवन और शक्ति की दुपहरी में युद्ध और साम्राज्य–विस्तार से विमुख होकर संसार के समस्त भूतों (प्राणियों) की सेवा में राजा, राज्य, अधिकारी और अपनी संतानों तक को लगा दिया। अशोक ने भारतीय मनीषा के विश्वबंधुत्व, लोककल्याण तथा जियो और जीने दो के संदेश को दिक–दिगंत में फैला दिया। उसने अपने शिला व स्तंभ लेखों में बताया कि युद्ध और हिंसा लोक और धर्म दोनों के विरुद्ध है। अपने शासन के आदर्श को पितृयात्मक बना दिया और समस्त प्रजा को अपनी संतान मान लिया और अपने बेहतरी के लिए हर उपक्रम व उधोग करता है वैसे ही मैं अपनी प्रजा की संतान मंतव्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से पिता अपनी संतान की भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति की लालसा रखता हूँ।

अशोक ने भारतीय आचार–संहिता तथा बौद्ध धर्म के मिश्रण का जो नवनीत मानव–जाति को परोसा, वह सार्वभौमिक मूल्यों, परम्पराओं व नैतिकता से ओत प्रोत था। धम्म लेख खुदवाते वक्त अशोक ने मनुष्यों में सदाचार, नैतिकता, आपसी समझ, अहिंसा, परस्पर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, परोपकार फैलाने पर जोर दिया। इस प्रकार से हम देखते है कि मानवाधिकार एक आधुनिक व्यवस्था है। पर प्राचीन विश्व में अशोक बुद्ध और धम्म के शरण में जाने के बाद मानव अधिकार का प्रबल हिमायती दिखता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बर्न एण्डबर्न रू हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ऑक्सफोर्ड 1992
2. वर्मा, लाल बहादुर, विश्व का आधुनिक इतिहास, इलाहाबाद,
3. गोपाल, लालजी, प्राचीन भारतीय चिन्तन वाराणसी,
4. सरकार डी.सी., अशोक के अभिलेख, नई दिल्ली पाषाण लेख–14वाँ
5. सरकार डी.सी., अशोक के अभिलेख, नई दिल्ली पाषाण लेख–15वाँ
6. सरकार डी.सी., अशोक के अभिलेख, नई दिल्ली पाषाण लेख–13वाँ
7. सरकार, डी.सी., लघु पाषाण लेख
8. सरकार, डी.सी., लघु पाषाण लेख द्वितीय ब्रह्मगिरी, द्वितीय एर्रागुडी

9. सरकार, डी.सी., गिरनार वृहत शिलालेख, चतुर्थ एवं षोडष लेख द्वितीय ब्रह्मगिरी, द्वितीय एर्रागुडी
10. सिंहली ग्रंथ द्वीप वंश और महावंश में मौर्यकालीन (बिन्दसार एवं अशोक) दो विद्रोह की चर्चा है एवं प्रजा द्वारा राजा को शिकायत की गई है।